the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the Bharat Aluminium Co. Limited New Delhi, for the year 1976-77.

(2) Annual Report of the Bharat Aluminium Company Limited, New Delhi, for the year 1976-77 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[*Placed in library. See* No. LT-1430/77]

AUDIT REPORT ON ACCOUNTS OF CENTRAL BOARD FOR PREVENTION AND CONTROL OF WATER POLLUTION FOR 1976-77

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड के वर्ष 1976-77 के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[*Placed in library. See* No LT-1431/77].

ANNUAL ASSESSMENT REPORT *Re.* HINDI FOR 1973-74 and 1974-75

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : I beg to lay on the Table a copy of the Annual Assessment Report (Hindi and English versions) on the programme and its implementation for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union for the years 1973-74 and 1974-75.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आइटम 7 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं जान-बूझ कर हिन्दी में बोल रहा हूं। अभी श्री मंडल ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संघ-भाषा के नाते हिन्दी के उपयोग में गति लाने के लिये बनाये गये कार्यक्रम और उसकी समीक्षा की रिपोर्ट को सदन के टेबल पर रखा है। आप देखेंगे कि 1973-74 और 1974-75 की रिपोर्टों को आज सदन के सामने रखा जा रहा है, जबकि 1977 का साल खत्म होने जा रहा है। उन वर्षों के दौरान हिन्दी के उपयोग में कितना विस्तार हुआ और इस सम्बन्ध में क्या दिक्कतें पेश आईं, जब इस बारे में रिपोर्ट आज हमारे सामने आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हम हिन्दी का उपयोग बढ़ाने के सिलसिले में उतने गंभीर नहीं हैं, जितना कि हमें संविधान के प्रावधान और संसद् के निर्णय के अनुसार होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि संघ-भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का उपयोग, और उसकी प्रतिष्ठा, बढ़नी चाहिए, तो हर एक मिनिस्ट्री को पूरे गाम्भीर्य के साथ उसके उपयोग को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जब इस विषय की रिपोर्ट ही दो ढाई साल के बाद हमारे सामने रखी जाती है, तो इससे ऐसा लगता है कि दिल्ली में भारत सरकार के बहुत से अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें अंग्रेजी के साथ इतनी मुहब्बत है कि वे हिन्दी के संबंध में संविधान के प्रावधान और इस संसद् द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करना चाहते हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्रधान मंत्रीजी और सरकार की—हम मानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने के लिए उत्सुक है—इस बारे में कुछ कहें।

MR. SPEAKER : Mr. Mavlankar, you can only raise it. This is not an occasion to make speeches.

STATEMENTS *Re.* ACTION TAKEN BY GOVERNMENT ON VARIOUS ASSURANCES GIVEN BY MINISTERS

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के

दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विवरण संख्या 10— सोलहवां सत्र, 1976 } पांचवीं लोक सभा

(2) विवरण संख्या 4—पहला सत्र, 1977
(3) विवरण संख्या 5—दूसरा सत्र, 1977
(4) विवरण संख्या 6—दूसरा सत्र, 1977
(5) विवरण संख्या 1—तीसरा सत्र, 1977
} छठी लोक सभा

[*Placed in Library See* No. LT-1433/77]

REPORT OF DESHPANDE COMMISSION RE. DEATH OF JUSTICE D. S. LAMBA, PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (5TH AMDT.) RULES, 1977 AND REPORT OF THE COMMITTEE ON DRUG. ABUSE IN INDIA

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी० एस० लांबा की मृत्यु सम्बन्धी तथ्यों तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित देशपांडे आयोग के प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण) की एक प्रति।

[*Placed in Library. See* No. LT-1434/77]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पांचवां संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 732 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[*Placed in Library. See* No. LT-1435/77]

(3) भारत में औषधियों के दुरुपयोग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी** संस्करण) की एक प्रति।

[*Placed in Library. See* No. LT-1436/77]

13.07 hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

MINUTES

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I beg to lay on the Table Minutes of the sittings of the Committee on Papers Laid on the Table held on 31st August, 5th October and 20th December, 1977.

13.08 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following messages received from

*The English version of the Report was laid on the Table on the 14th November, 1977.

**The English version of the Report was laid on the Table on the 5th December, 1977.